रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062021-227548
CG-DL-E-12062021-227548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2102] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943
No. 2102] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/ JYAISTHA 21, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2021

का.आ. 2262(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1645 (अ) दिनांक 15 अप्रैल, 2021 , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर जिले में NH-730 के कि.मी. 351.000 से कि.मी. 385.000 (तुलसीपुर-बढ़नी सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर 2 लेन/ 4 लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबन्धन एवं प्रचालन के लियेलिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"17 अप्रैल, 2021 "** को **"अमर उजाला"** और **"हिन्दुस्तान टाइम्स"** दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नही हुये हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर जिले में NH-730 के कि.मी. 351.000 से कि.मी. 385.000 (तुलसीपुर-बढ़नी सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश	**जिले का नाम: बलरामपुर**				
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: तुलसीपुर				
	गांव का नाम: जीतपुर				
1	519A	निजी	प्राइवेट आबादी	0.008	आबादी ()
2	526M	निजी	प्राइवेट आबादी	0.014	बिजय प्रताप सिंह/अमर बहादुर सिंह, श्रीमती सवित्री देवी पत्नी राम नरेश निवासी साएडीह, अनिल कुमार/जय मंगल निवासी जीतपुर ()
	गांव का नाम: विशुनपुर टनटनवाँ				
3	109	निजी	प्राइवेट एग्रीकल्चर	0.073	अब्बास/शहादत, जमील अहमद/शहादत, मो0 इस्लाम/शहादत निवासी ग्रामवासी ()
4	132	निजी	प्राइवेट एग्रीकल्चर	0.121	कौसर अली खा ॅ/खैकुल निवासी ग्रामवासी ()
5	14	निजी	प्राइवेट एग्रीकल्चर	0.008	मुस्तफा शाह/हुसैन शाह, रफी नगर, शमशुल इस्लाम शाह/मुस्तफा शाह निवासी ग्रामवासी ()
6	183/1032	निजी	प्राइवेट आबादी	0.04	अनंत राम /नागेशर, अनंत राम /राम जियावन, बंशीधर/राम मनोरथ, मुरलीधर/राम मनोरथ, कन्हैया लाल/गनपत, ठाकुर प्रसाद/नागेशर, गंगाराम/संतराम, बाबूलाल/संतराम, बद्री

					प्रसाद/राम भरोसे, राम छबीले/राम भरोसे , राम सागर /राम भरोसे, जुग्गी लाल / राम भरोसे, अरविंद कुमार / राम अवतार, काशी राम / राम अवतार, राधेश्याम / राम अवतार, राम सागर /जय जय राम, संत राम /जय जय राम, राम सुमिरन / राम जियावन निवासी ग्रामवासी ()
			कुल	0.264	

[फा. सं. NH-12014/17/2015/UP/NH-II/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2021

S.O. 2262(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport & Highways no. S.O. 1645(E), dated 15.04.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Building (Widening/2-Lane with paved shoulder/4-laning etc.) Construction, Maintenance, management and operation of NH-730 on the stretch of land from Km. 351.000 to Km. 385.000 (Tulsipur-Barhani Section) in the district of BALRAMPUR in the state of UTTAR PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Amar Ujala” and “Hindustan Times” both dated 17.04.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-730 in the stretch of land from Km. 351.000 to 385.000 (Tulsipur-Barhani Section) in the district of BALRAMPUR in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH District: BALRAMPUR					
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Tulsipur				
	Village: Jeetpur				

1	519A	Private	Private Abaadi	0.008	Abadi
2	526M	Private	Private Abaadi	0.014	Bijay Pratap Singh/Amar Bahadur Singh, Smt. Savitri Devi w/o Ram Naresh R/o Vill- Saidih/Anil Kumar/ Jai Mangal R/o
	Village: Vishunpur Tantanwa				
3	109	Private	Private (Agriculture)	0.073	Abbas/Shahadat, Jameel Ahmad/Shahadat, Mohd. Islam/Shahadat R/o Village
4	132	Private	Private (Agriculture)	0.121	Kausar Ali Khan/ Khaikul R/o Village
5	14	Private	Private (Agriculture)	0.008	Mustafa Shah/ Hussaini Shah, Rafi Nagar, Shamshul Islam Shah/Mustafa Shah R/o Village
6	183/1032	Private	Private Abaadi	0.04	Anant Ram/Nageshar, Anant Ram/ Ram Jiyawan, Banshidhar/Ram Manorath, Murlidhar/ Ram Manorath, Kanhaiya Lal/Ganpat, Thakur Prasad/Nageshar, Gangaram/Santram, Babulal/Santram, Badri Prasad/Ram Bharose, Ram Chabile/Ram Bharose, Ram sagar/Ram Bharose, Juggi Lal/ Ram Bharose, Arvind Kumar/Ram Avatar, Kashi Ram/ Ram Avatar, Radhey Shyam/ Ram Avatar, Ram Sagar/ Jai jai Ram, Sant Ram/ Jai jai Ram, Ram Sumiran/ Ram Jiyawan
			TOTAL	**0.264**	

[F. No. NH-12014/17/2015/UP/NH-II/3D]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM